संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) :(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित, अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से केन्द्र सरकार को समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बलों की उपलब्धता और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रख कर इन मांगों को यथासम्भव पूरा किया जा रहा है ।

Refusal by U.P. Government to answer queries on Ayodhya dispute

997. SHRI V. NARAYANASAMY :
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem under the caption "Ayodhya dispute—U.P. not to answer queries from Centre" which appeared in the Indian Express of the 23rd April, 1992;

(b) if so, the details thereof and what is Government's reaction thereto; and

(c) the action being taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Yes, Sir.

(b) The reported information was sought by the Delegation consisting of the Members of Standing Committee of the National Integration Council and Parliament who visited Ayodhya on 7th April, 1992. The Delegation has since submitted its report to the Government.

(c) Does not arise.

हैदराबाद में धार्मिक जुलूस पर गोली चलाना है

998. **श्री राघवजी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने हैदराबाद में महावीर जयन्ती के अवसर पर एक धार्मिक जुलुस पर लाठी चार्ज किया था और गोली चलाई थी ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब): (क) जी हां, श्रीमान । 15 अप्रैल, 1992 को पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कुछ व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं और गोली चलने से कुछ व्यक्ति घायल भी हुए ।

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II, राज्य सूची में शामिल है और इसलिए यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है । तथापि, साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने तथा साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस मामले में एक न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है ।

Bomb Blast in Paharganj

999. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 15 persons sustained serious injuries in a Bomb blast in a Paharganj area restaurant of Delhi recently;